



न्यायालय श्रीमान अच्युता महोदय, राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर,
कैम्प, भोपाल R 1470-88217

बाबूलाल आत्मज श्री बालाप्रसाद निवासी ग्राम
तारा सेवनियां, तहसील हुजूर जिला भोपाल---- आवेदक
विरुद्ध

१- हमीरसिंह, २- जितेन्द्रसिंह, आ०स्व० कृष्णाकुमार,

३- धनकुंवर पत्नी स्व० श्री कृष्णा कुमार,

निवासीगण ग्राम पुरा हिन्वारा कृष्णक ग्राम

तारा सेवनियां, तहसील हुजूर जिला भोपाल,

४- आत्माराम आ० केशोराम निवासी ग्राम पुरा -

हिन्वारा तहसील हुजूर जिला भोपाल --- अनावेदकगण

पुनरीक्षाण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० मू-राजस्व संहिता, १९५६

विरुद्ध आदेश अपर तहसीलदार महोदय वृत्त-४, तहसील हुजूर, भोपाल

के प्रकरण क्रमांक ३१अ-७०। २०१६-१७ ' ' हमीरसिंह विरुद्ध बाबूलाल

में पारित आदेश दिनांक २४-४-१७ से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षाण

समयावधि में प्रस्तुत है।

---०००---

(24)

दिनांक २४/०४/१७
आवेदक दिनांक २२/५/१७

३-२३-५५१७ का
वास्तु कार्य ६ फाज

235

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर 6

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1470-पीबीआर/17

जिला भोपाल

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.4.17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि प्रकरण में पृथक से मूल प्रकरण बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>